19/04/23 पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी श्री ठाकुर जी दयालजी महाराज स्थान बांके देह की कब्जे-काश्त की भूमि ग्राम सुरसुरा में ख.न. 721 रकबा 0.0080 हैक्टे व ख.न. 720 रकबा 0.1770 हैक्टे स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य किया हुआ है जिसको अप्रार्थी द्वारा बिना सीमांकन के हटाया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे-काश्त की भूमि पर जबरदस्ती निर्मित निर्माण को हटा रहे है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही है। अतः वादग्रस्त भाराजियात प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भाराजियात पर PWD किशनगढ़ के पत्रानुसार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:45:30 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि पर राजस्व रेकर्ड में सड़क दर्ज है जो ग्राम सुरसुरा में प्रवेश से निकासी तक मुख्य मार्ग की सीमा में अतिक्रमण को चिन्हित कर हटवाने की कार्यवाही की गयी जो कानूनी दृष्टि से उचित है एवं अप्रार्थी तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत भूमिधारी होने से उक्त कार्यवाही करने का कानूनी अधिकार है। राजस्व विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष सीमाज्ञान कर PWD के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि की रोड बाउण्ड्री सीमा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी। प्रार्थी स्वयं उक्त भूमि में खातेदार ना होकर मंदिर की भूमि है। अतः PWD के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सड़क भूमि की सीमा में हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर हटवाने की कार्यवाही की गयी जो न्यायोचित व कानूनी दृष्टि से सही है। प्रार्थी अतिक्रमणकारी है तथा प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र भारी हर्जाने के खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24
Reason: SelfAttested

[signature] ...4.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)